

एन0पी0वी0 की गणना

जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर-देवरिया मार्ग (एस0एच0-1) ग्राम-अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील-देवरिया की गाटा सं0-547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में 0.75028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु एन0पी0वी0 की गणना :-

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन क्रम में भारत सरकार की पत्र संख्या-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0 डिविजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या एफ0एन0 5-3/2011, एफ0सी0 (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना

प्रभावित एरिया 0.075028 हे0

ईको क्लास एवं हरियाली घनत्व = ECO-3, घनत्व-0.4
एन0पी0वी0 की दर :- = 1228590.00 रू0 प्रति हे0
प्रभावित एरिया 0.075028 हे0 x 1228590 = 92179.00

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 2019 से 2023 तक

92179.00 x 5 = 460895.00

पांच वर्ष का ब्याज = 460895.00 x 12 x 5

100 = ~~276~~537.00

कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0 = ~~276~~537.00 + 92179 = 368716.00

देय दण्डात्मक एन0पी0वी0 = 368716.00 x 20

100 = 73743.20

या :- = 73743.00

R. J. Deol

(जनपदीय अधिकारी)

प्रशासकीय निदेशक

सामाजिक जल निकाय प्रभाग, देवरिया
देवरिया

प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट बैल्यू (एन0पी0वी0) की गणना :-

जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर-देवरिया मार्ग (एस0एच0-1) ग्राम-अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील-देवरिया की गाटा सं0-547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में 0.75028 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट बैल्यू (एन0पी0वी0) की गणना भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार निम्न प्रकार है:-

वन का प्रकार	क्षेत्रफल हे0 में	ईको क्लास	घनत्व	प्रति हे0 बैल्यू रू0 में	कुल एन0पी0वी0 की धनराशि
1	2	3	4	5	6
संरक्षित वन भूमि	0.075028 हे0	III	Dense 0.4	1228590.00	92178.65
योग :-	-	-	-	-	92178.65
या :-	-	-	-	-	92179.00

R. V. Aest


(जमादीश आर)र

प्रभारणीय निदेशक

सामाजिक विकास विभाग देवरिया
देवरिया

एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया के अन्तर्गत एस्सार ऑयल पेट्रोल पम्प (नयारा एनर्जी लि0) द्वारा सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच-1) के कि0मी0 नं0-153 से 154 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-547, ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है। जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-17/2022-23 दिनांक 20.09.2022 को इजरा किया गया है। जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा रू0 50,000.00 मात्र की धनराशि ई-3 संख्या-12946/2023 दिनांक 12.05.2023 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।


(रजनीश आशर)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी प्रमाणित देवरिया

दिनांक..... 20 ~~द्वितीय क्वाथिकारी बरतव की~~ ~~पसंदात के आचार पट के~~ ~~रेन्ज अधिद...~~
 रेन्ज

प्रभागीय केस नं० 20 का मु० 50000/- ~~कृषक का~~
 रेन्ज अधिकारी ~~प्रामित करने की वसुली की जाई~~
 उप मागांम वनाधिकारी
 सामा. व वानिकी प्रभाग

कृपया अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजें।
 महोदय 142 केस - स० 17/2022-23 दिनांक 20-9-2022 प्रभागीय निदेशक

द्वितीय अपराध का जोका १-अल सोनोली - कलिया मार्ग K.M-153-154 देवरिया
 के अद्य पक्षी पक्षी पर अदिकवार बुगुग लहसाल सदर जनपद देवरिया में पक्षी पक्षी स्थापित
 दिनांक..... 20 करना साराक्षत वृक्ष भूमि का जेर वानिकी (एग्रोनोमी) का प्रयोग किया जाना वनें वनें वनें
 अधिनियम 1988 का उल्लंघन स्वल्प पाया गया। उम्मा अपराध के सम्बन्ध में पक्षी ल
 अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट पम्प स्वामी श्रीमती विभव भारती देवी अठरमेवा जामुसवाल व प्रोमोता से जेन्सी -
 डिपिजनल मैनेजर सनजी किमेट (एच भार-आयल लिमिटेड) आरिहना कम्प्लेक्स
 विंगर आराजसा को विभाग नोपुस इकर अपना पक्ष रखने का कुरा गया। विभाग प्रमुख
 नोरिस कउपान्त प्रोमोता से जेन्सी / जम नापरा सनजी किमेट। विंगर आराजसा द्वारा
 अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हुए 142 केस में दूर अपराध का प्रतिकर व
 वन भूमि का जेर वानिकी में प्रयोग में ली गयी, भूमि की सन परी-वां मूल्य
 राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा जे विधारेत की जायेगी उसे सर्वे जमा
 करने हेतु प्रार्थना है इस हेतु स्थाप में वन्यन वइहा प्रमाण पत्र भी दिया
 गया है

अतः 142 केस में दूर अपराध में अतिकर जमा करने हेतु पक्षी पक्षी पम्प स्वामी
 तैमार है अतिकर जमा कर 142 केस को प्रकृत करके सिफारिश की जायेगी।
 (एग्रोनोमिस्ट)

रेन्ज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

अन्तिम ज्ञान रिपोर्ट
 सेवा में
 उप प्रभागीय वनाधिकारी देवरिया
 महोदय, उम्मा केस की ज्ञान श्री ओकरा डिप्टी क० ड० से कपुमी मदी ज्ञान अधिकारी के ज्ञान
 रिपोर्ट से सहमत हूँ पम्प स्वामी / प्रोमोता से जेन्सी द्वारा संशोधित वन भूमि के प्रयोग हेतु
 अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा
 निर्धारित धनराशि को जमा करने हेतु वन्यन वइहा प्रमाण पत्राइका है।
 142 केस में वनीत अपराध का अतिकर रु० 50,000/- रुपय ६३६/१२९५६/२३ दिनांक 12-5-2023
 अन्तिम निर्णय 12-5-2023 द्वारा जमा किया गया है।
 142 केस में वनीत अपराध का अतिकर रु० 50,000/- रुपय ६३६/१२९५६/२३ दिनांक 12-5-2023 अतिकर जमा करके जमा
 वनराजि अधिकारी..... के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन से अनुसंधान यह
 केस..... के कम्पाउण्ड किया जाता है और बरामद लकड़ियों को मिलान करने की
 अनुमति दी जाती है शेष..... रूपया जिनकी लकड़ियां नहीं बरामद हुई हैं।
 उसकी श्री..... से वसूल करके केस श्राप किया जाता है।
 अपराध से सम्बन्धित सामान जो क्रम सं०..... पर अंकित है।

रीलीज जप्त किया जाता है। कम्पाउण्ड करने के पहले भाजायत जोत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तदनुसार सर्टिफिकेट रेन्ज
 अफसर दें।

द्वितीय क्वाथिकारी देवरिया कृपया उप प्रमाण पत्रा व वानिकी प्रभाग को ज्ञान /
 पसंदात के आचार पट केस का मु० 50000/- (पचास हजार पञ्चस्र
 का प्रामित किया जाय है
 प्रभागीय निदेशक
 देवरिया

अन्तिम रिपोर्ट
 वनाधिकारी

R. J. J. J.
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 देवरिया

दिनांक..... 20

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

E-3 बुक नं० 12946

प्रभागीय वनाधिकारी नं०

23

वन प्रभाग देवरिया

सा० वा० प्रभाग, देवरिया दिनांक 22.05.2023

श्रीमती विष्णु देवी (5/10 क्षेत्र, सामाजिक वानिकी, सोनीली, जिला K.M. 153-154 के वन विभाग)

रुपया पचास हजार मात्र (50,000/-) प्राप्त किया।

बाबत रेंज के ज.नं० 17/2022-23 से प्राप्त प्रतीका की धरहरा

दिनांक 22.05.2023

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम

C.S.


R. J. Jeet
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बरहज रेंज
सा० वा० प्रभाग, देवरिया

वपान


मैं विश्व भारती देवी पत्नी श्रीरमेशा जायसवाल त्रि० अटिल
 पुत्रों लहरील स्वर जिजा देवीरम का मूल निवासी हूँ मैं सोने
 कछिया मार्ग 15. 11 153-154 के मध्य अपना पेट्रोल पम्प खरीदा
 किया जाना वन भूमि का जैर वास्तुकी उपयोग में ली गयी थी
 का वास्तु जारी विभागीय प्रकृति का जैर उका भूत क
 लैपार हूँ। वन भूमि का जैर वास्तुकी उपयोग में ली गयी
 की सुन पीवी मूल्य राज्य सरकार। भारत सरकार द्वारा
 विधायक की जायेगी इस स्तर उका कले को लैपार हूँ


वपान में डापडिआग


 (1938-1968)
 क. ८

VISHWA BHATTI
 विश्वभारती जायसवाल
 उदितलपुर पुत्रों

वपान में समझ लिया जाना



 (अनुप कुमार)
 क. ८


 (अनंद भट्टी)
 क. 5


C.S.
 R. J. Kaur
 (जागदीश आर)
 प्रभागीय विदेशक
 सामाजिक चोरी-प्रमाण
 देवरिया

बचनबद्धता प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच0-1) कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नायरा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के रूप में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में जारी विभागीय एच-2 केस में जो प्रतिकर निर्धारित की जायेगी जो कम से कम हो, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा करने की बचनबद्धता दी जाती है इसके अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि निर्धारण किया जायेगा उसे नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया जायेगा। इसके लिए प्रार्थी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। न्याय के लिए ईश्वर मेरी रक्षा करें।


प्रयोक्ता एजेन्सी/कंपनी
नायरा एनर्जी लिमिटेड
सिगरा वाराणसी

C.S.


(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

मवदीय
NAYARA ENERGY LTD.


24/3/20
Divisional Manager

प्रयोक्ता एजेन्सी/कंपनी
नायरा एनर्जी लिमिटेड सिगरा वाराणसी
ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग
तहसील-सदर
जनपद-देवरिया
दिनांक
VISHWA BHATT

(6)

(33)